प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 23.03.2021

चेकिंग के दौरान 01 शातिर लुटेरा गिरफ्तार, लूट की पिस्टल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद–

एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट प्रयागराज के उ0नि0 वेद प्रकाश पाण्डेय मय टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र महेशगंज के हुलासगढ़ के पास से चेकिंग के दौरान थाना महेशगंज के मु0अ0सं0 91/2019 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त विशाल पुत्र राम अंजोर पासी नि0 पारस नगर कल्यानपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को एक मोटर साइकिल बजाज सीटी 100 नं0 एचआर 51 बीएच 7540 रंग नीला के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अदद सरकारी पिस्टल बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि यह पिस्टल मैने अपने एक साथी मो0 मुस्तफा पुत्र मो0 अनीस नि0 बेलाही सराय खान देव थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर 2019 में मई के महीने में संसारीपुर मोड़ के पास से एक दरोगा से छीन लिये थे, उस समय मेरे पास यही मोटर साइकिल थी जिसे मुस्तफा चला रहा था तथा मै पीछे बैठा था, उस समय पिस्टल में 10 कारतूस थे जिसे हमने फायर करके कई बार में खत्म कर दिया। इस पिस्टल को कई बार बेंचने का प्रयास किया किन्तु सरकारी पिस्टल होने के कारण इसे कोई खरीदता नही था। आज भी मै इसे बेचने के लिये निकला था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना महेशगंज पर अभियुक्त विशाल उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 54/21 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. विशाल पुत्र राम अंजोर पासी नि0 पारस नगर कल्यानपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर।
02. 01 अदद बजाज सीटी 100 मोटर साइकिल नं0 एचआर 51 बीएच 7540 (घटना में प्रयुक्त)

पुलिस टीम–

- एस0टी0एफ0 यूनिट प्रयागराज के उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, मु0आरक्षी साजित अली, मु0आरक्षी प्रभन्जन पाण्डेय, आरक्षी प्रवीण जयसवाल, आरक्षी उदय प्रताप सिंह एस0टी0एफ0 यूनिट प्रयागराज।

307 कैन/500 मि0ली0 अवैध बीयर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कुण्डा)–

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कल दिनांक 22.03.2021 को थानाक्षेत्र कुण्डा से आबकारी निरीक्षक श्री प्रभु नारायण सिंह मय आबकारी टीम व थाना कुण्डा के व0उ0नि0 श्री सुरेश चौहान मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के कस्बा कुण्डा में स्थित बीयर की दुकान से अवैध 307 कैन/500 मि0ली0 के साथ दुकान के मालिक अतुल सिंह पुत्र चन्द्र प्रकाश सिंह नि0 सरूवा जमेठी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया जबकि एक व्यक्ति मौके से भाग निकला।

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अतुल सिंह उपरोक्त ने बताया कि मौके से जो भाग गया उसका नाम रमेश पुत्र बुद्धिराम नि0 रजनपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ है, जो बिक्री का कार्य देखता है। हम लोग वैध बीयर के साथ–साथ अवैध बीयर भी बेचने का कार्य करते हैं। इसी कारण पुलिस टीम को देखकर बिक्रेता रमेश दुकान छोड़कर भाग गया। मौके से 307 कैन/500 मि0ली0 अवैध बीयर के साथ 966 कैन/500 मि0ली0 बीयर वैध पाया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/21 धारा 420, 467, 468, 471, 272, 273 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. अतुल सिंह पुत्र चन्द्र प्रकाश सिंह नि0 सरूवा जमेठी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 307 कैन/500 मि0ली0 अवैध बीयर।

पुलिस टीम– आबकारी निरीक्षक श्री प्रभु नारायण सिंह मय आबकारी टीम व थाना कुण्डा के व0उ0नि0 श्री सुरेश चौहान मय हमराह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के ग्राम मनोहरपुर रामपुर डाबी में हुए जहरीली शराब प्रकरण से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, 10 पेटी अवैध देसी शराब व 02 लीटर ओ0पी0 केमिकल बरामद

जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कल दिनांक 22.03.2021 को थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ श्री आशुतोष त्रिपाठी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र संग्रामगढ़ के ग्राम मनोहरपुर रामपुर डाबी में दिनांक 14/15.03.2021 को हुए जहरीली शराब प्रकरण से सम्बन्धित मु0अ0सं0– 46/21 धारा 304, 272 भादवि व 60(ए) आबकारी अधिनियम व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5, 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त मुन्नालाल यादव पुत्र जगतपाल यादव नि0 मुरैठी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के ग्राम मुरैठी स्थित विजय सिंह इण्टर कालेज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर उसके पशुशाला से 10 पेटी अवैध देशी शराब व 02 लीटर ओ0पी0 केमिकल बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 52/21 धारा 420, 467, 468, 471, 272 भादवि व 60ए आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

01. मुन्नालाल यादव पुत्र जगतपाल यादव नि0 मुरैठी थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी–

01. 02 लीटर ओपी केमिकल।
02. 10 पेटी अवैध देसी शराब (कुल 450 शीशी/200 मिली)।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मुन्नालाल उपरोक्त ने बताया कि मै अपने गांव के ही बब्लू यादव पुत्र रामनाथ यादव से ओ0पी0 केमिकल शराब व देसी शराब की पेटी लेकर बेंचता हूं। कुछ दिन पहले मैने बाबूलाल पटेल को ओ0पी0 केमिकल शराब व देसी शराब की पेटी बेंची थी तथा 10 पेटी देसी शराब मैने बेचने हेतु रखी थी लेकिन जब मुझे यह पता चला कि बाबूलाल पटेल द्वारा बेंची गई ओ0पी0 केमिकल शराब से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है तो मैने यह 10 पेटी देसी शराब व 02 लीटर ओ0पी0 केमिकल अपनी पशुशाला में छुपाकर रख दिया था।

पुलिस टीम–

- **थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार त्रिपाठी,** उ0नि0 शत्रुघन वर्मा, आरक्षी वीरेन्द्र कुमार, आरक्षी नरेन्द्र कुमार, आरक्षी विनोद कुमार, महिला आरक्षी स्मिता थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद के थाना मान्धाता से उ0नि0 सुशील कुमार मिश्रा मय हमराह के द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के देल्हूपुर से एक व्यक्ति सूबेलाल पटेल पुत्र शिव प्रताप पटेल नि0 छितपालगढ़ थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 104/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

- जनपद के थाना महेशगंज से उ0नि0 हारून रसीद खां मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के मसवन मोड़ के पास से मु0अ0सं0 51/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त शेरू उर्फ शमीर पुत्र मो0 अच्छे नि0 मसवन थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

- जनपद के थाना मान्धाता से उ0नि0 अजीत कुमार सिंह मय हमराह द्वारा द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के कस्बा मान्धाता से मु0अ0सं0 102/21 धारा 295ए, 506, 427 भादंवि से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 01. चक्रपाणि मिश्रा पुत्र विजय शंकर मिश्रा 02. पंकज तिवारी पुत्र अम्बिका प्रसाद तिवारी नि0 कस्बा मान्धाता थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

- जनपद के थाना नवाबगंज से उ0नि0 दीन दयाल यादव मय हमराह द्वारा द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के कुण्डा तिराहे के पास से मु0अ0सं0 25/21 धारा 302, 120बी भादंवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता विमला देवी पत्नी राम बहल नि0 गमेलन का पुरवा, भद्दिव थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक– 23.03.2021